राज्य शिक्षा केन्द्र,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश

NATIONAL CENTRE FOR SCHOOL LEADERSHIP
NCSL
Every Child Learns
Every School Excels

राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्यप्रदेश स्टेट लीडरशिप अकादमी, एस.सी.ई.आर.टी., भोपाल
राज्य शिक्षा केन्द्र,
पुस्तक भवन बी-विंग अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.) – 462011
दूरभाष : (0755) 2552368

मॉड्यूल क्रमांक 4

शीर्षक - विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के माध्यम से सामाजिक समावेशन, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में

मॉड्यूल का क्षेत्र 1 : विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण

भाग 1 : सामाजिक समावेशन के विभिन कारकों को समझना

भाग 2 : मध्यान्ह भोजन प्रणाली को समझना

भाग 3 : विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के माध्यम से सामाजिक समावेशन की पहल को केस स्टडी के द्वारा समझना

मॉड्यूल के उद्देश्य:

- विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझना
- विद्यालय नेतृत्वकर्ता की भूमिका और दायित्व को समझना
- विद्यालय में समावेशन की प्रक्रिया को समझना

की-वर्ड - विद्यालय, मध्यान्ह भोजन, समावेशन, नेतृत्व , समावेशी शिक्षा, समावेशी व्यवहार,समावेशी संस्कृति रूढ़िवादिता, सामाजीकरण

प्रस्तावना -

यह मॉड्यूल विद्यालय प्रमुखों की विभिन्न भूमिकाओं, दायित्वों की अवधारणा के साथ विद्यालय में सामाजिक समावेशन के वातावरण का निर्माण करने पर केन्द्रित है| इस मॉड्यूल में एक विद्यालय की सामाजिक समावेशन की कल्पना करने और उसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में किया गया प्रयास है| जिसमें विद्यालय प्रमुखों के लिए विद्यालय विकास योजना पर एक संक्षिप्त नोट भी है| जिसमें सामाजिक समावेशन किन-किन प्रयासों एवं प्रक्रियाओं द्वारा विद्यालय में किया जा सकता है, जिसका विवरण इस मॉड्यूल में दिया गया है, जो विद्यालय में सामाजिक समावेशन के बारे में एक दृष्टिकोण निर्मित करता है|

यह मॉड्यूल इस बात की जानकारी देता है कि सामाजिक समावेशन को अलग-अलग संदर्भ में कैसे समझा और रूपांतरित किया जा सकता है। मॉड्यूल शिक्षकों को सामाजिक समावेशन संबंधी मुद्दे पर संवेदनशीलता और समझ को विकसित करने में सहायक होगा| मॉड्यूल में शामिल केस-स्टडी का उद्देश्य विद्यालय में सामाजिक समावेशन के माध्यम से अनुकूल वातावरण को बनाना है। शिक्षक अपनी सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयासों से विद्यार्थियों एवं पालकों में व्याप्त भेदभाव, रूढ़िवादिता और जातिवाद जैसी विचारधारा को बदल सकते हैं।

ज्ञान एवं विभिन्न कौशलों के द्वारा नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा सकता है| एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रत्येक प्रधानाध्यापक को अपनी भूमिका एवं दायित्व को समझना आवश्यक है। विशेषतः उस स्थिति में जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों|एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है कि स्वयं की क्षमताओं में विश्वास करें कि, हाँ मैं कर सकता हूँ /कर सकती हूँ| इस प्रक्रिया में स्वयं के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ – साथ सभी साथियों से सीखना तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए, स्वयं का विकास कर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरना शामिल है|

नेतृत्वकर्ता की प्रमुख विशेषताएं:

- पहल करना तथा नयी पद्धतियों को अपनाना।
- सकारात्मक दृष्टिकोण रखना।
- दूसरों को प्रेरित करना।
- निरंतर प्रयासरत रहना तथा बदलाव का स्वागत करना।
- सभी को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान करना।

नेतृत्वकर्ता के रूप में आप स्वयं को कहाँ पाते है? चिंतन करें।

प्रशासक	प्रबंधक	नेतृत्वकर्ता
निति एवं नियमो के तहत कार्य करना। जब व्यक्ति एक प्रशासक की भूमिका में होता है तो वह सिर्फ नीतियों और नियमों के भीतर कार्य करता है तथा अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। इस भूमिका में काम का दायरा संकीर्ण होता है।	कार्यो व संबंधो को बनाए रखना । प्रबंधक की भूमिका में व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों और विभागों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है।	निश्चित उद्देश्यों के तहत कार्य करना । नेतृत्वकर्ता एक ऐसा वातावरण विद्यालय में स्थापित करता है जो सहयोगी तथा विद्यार्थियों के विकास को प्रोत्साहित करता है तथा साथी शिक्षकों की मदद से एवं समुदाय के सहयोग से विद्यालय को विकास की और लेकर जाता है।

एक नेतृत्वकर्ता से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्रशासक और प्रबंधक से ऊपर उठकर बदलाव के वातावरण को बढ़ावा दे।

विद्यालय नेतृत्वकर्ता -बहु भूमिकाएं एवं दायित्व:

विद्यालय के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक शिक्षक की कई भूमिकाएं एवं दायित्व होते है जोकि निम्नलिखित है।

1. **साझेदारी का नेतृत्व**
2. **विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व**
3. **नवाचारों का नेतृत्व**
4. **दल का निर्माण एवं नेतृत्व**
5. **शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नेतृत्व**
6. **स्वयं का विकास**
7. **विद्यालय का नेतृत्व**

आइये सामाजिक समावेशन के परिपेस्क्ष्य एवं प्रक्रिया को समझते हैं-

सामाजिक समावेशन का परिपेक्ष्य:

भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा (Dignity Of Person) को अर्जित मूल्यों के रूप में निरूपित किया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए हमारे संवैधानिक मूल्य स्पष्ट दिशा-निर्देशन प्रदान करते हैं और इस प्रकार एक समावेशी समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्ग, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वत्रंत अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकत्रांतिक समाज में

विद्यार्थी के समुचित समावेशन हेतु वातावरण का सृजन किया जा सके। समावेशन की ठोस प्रक्रिया प्रतीकात्मक लोकतंत्र से भागीदारी आधारित लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करती है।
समावेशी समाज का विकास उसमें निहित सम्पूर्ण मानवीय क्षमता के कुशलतापूर्वक उपभोग पर निर्भर करता है। समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के बिना समावेशी समाज का विकास सम्भव नहीं हो सकता है। शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक विद्यार्थी लोकत्रांतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका के लिए तैयारी करता है, वहीं दूसरी ओर समावेशन में बाधक तत्वों को दूर करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है।

'समावेशन' : समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। समावेशन की प्रक्रिया में विद्यार्थी को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

विद्यार्थियों का सामाजीकरण एक समान प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरता, अतः समावेशन की प्रक्रिया भी एक समान नहीं रहती है। जिससे विद्यार्थी के लिए वर्ण, जाति, लिंग, न्याय एवं लोकतंत्र के नजरिए प्रभावित होते हैं। जब इस प्रकार के नजरिए को कई दृष्टियों से बल मिलता है तो ये मूल्यों में बदल जाते हैं। ये मूल्य संस्कृति को विचारधाराओं में बदलने की प्रक्रिया इसी क्रम की अगली कड़ी होती है। यह दुश्चक्र बार-बार के अनुभवों के पुर्नबल से मजबूत होता जाता है।

अतः इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए विद्यार्थी के अनुभवों में बदलाव लाना आवश्यक होता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि बदलाव लाने वाला अनुभव बहुत सशक्त होना चाहिए, जिससे पुराने अनुभवों को परिवर्तित करने/बदलने में मदद मिल सके। इस प्रकार विद्यार्थी को परिवार, विद्यालय एवं समाज से ऐसे समावेशी अनुभव, समावेशी व्यवहार, समावेशी विश्वास एवं समावेशी संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वह एक ऐसे लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में विकसित हो सके, जो समावेशन के मूल्यों में दृढ़ आस्था रखता हो।

विद्यार्थियों को समाज में जो अनुभव, संस्कृति या मूल्य प्राप्त होते हैं, वह कहीं न कहीं विद्यालय में उनके व्यवहार में भी परिलक्षित होते हैं। हमारे समाज में विद्यमान असमानताएँ हमारी शिक्षण प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं।
इस प्रकार समावेशन की प्रक्रिया के पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम हो सकते हैं |

विद्यार्थी के समावेशन की दो महत्वपूर्ण एजेंसियां -

<u>परिवार तंत्र</u>
विद्यार्थी के सामाजीकरण की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है | इस सामाजीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं परन्तु इतना तय है कि विद्यार्थी के सामाजीकरण में परिवार की अहम् भूमिका होती है। परिवार में विद्यार्थी के सामाजीकरण की उचित प्रक्रिया समावेशन हेतु आधार भूमि तैयार करती है। एक सामान्य विद्यार्थी के सन्दर्भ में यह बहुत जरूरी है, लेकिन एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लिए इसके गहन निहितार्थ हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से होकर गुजरता है।

परिवार लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अगर परिवार में निर्णयों में सहभागिता है, परिवार में सभी को अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के समान अवसर हैं तब इतना निश्चित है कि समावेशन के बारे में विद्यार्थी के मजबूत सकारात्मक अनुभव होंगे। इसके विपरीत होने की स्थिति में विद्यार्थी समावेशन के बारे मे नकारात्मक अनुभव ग्रहण करेगा। यह बात बहुत अधिक सतही लग सकती है, परन्तु इसके गंभीर निहितार्थ हैं।उदाहरण के लिए-

1. परिवार में खान-पान, शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति आदि के बारे में निर्णय एवं सहभागिता में लैंगिक आधार पर विभेद किया जाता है या नहीं किया जाता है।
2. परिवार में या आसपास मौजूद शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष चुनौती वाले विद्यार्थियों/व्यक्तियों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है ?
3. समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों/ व्यक्तियों के प्रति परिवार का नजरिया किस प्रकार का है ?
4. परिवार में लोकतांत्रिक मूल्यों (समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा आदि) मूल्यों के लिए पोषक वातावरण है या नहीं।

परिवार एवं परिवेश से प्राप्त समावेशी अनुभव, व्यवहार, विश्वाश एवं संस्कृति के आधार पर विद्यार्थी में समावेशी मूल्यों का विकास होता है।

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के समावेशन का द्वार परिवार तंत्र में उसके समुचित समावेशन से गुजरता है। प्रायः परिवार इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए निम्नांकित दो चरम दृष्टिकोण अपनाते रहे हैं-

- **<u>अति संरक्षण (Over protection)</u>**

विद्यार्थियों के प्रति अति संरक्षण उनकी स्वनिर्भरता की प्रक्रिया में बाधक बनता है, जिसका समग्र परिणाम उसके समावेशन की प्रक्रिया में अवरोध के रूप में सामने आता हैं। विद्यार्थी में उसकी सामर्थ्य/क्षमता के अनुरूप समाज में समावेशन की प्रक्रिया का बीजारोपण करना परिवार की अहम् जिम्मेदारी है।

- **<u>अस्वीकरण (Rejection)</u>**

इन विद्यार्थियों के प्रति परिवार के दृष्टिकोण का यह दूसरा चरम छोर अस्वीकरण है। परिवार का यह दृष्टिकोण इस तथ्य का प्रतिरूपण करता है कि विद्यार्थी की सामर्थ्य/क्षमता पर परिवार का विश्वाश नहीं है। परिवार की दूसरी भूमिका यह भी है कि वह विद्यार्थी में यह अनुभूति, विश्वाश एवं मूल्य प्रतिस्थापित करे कि विद्यार्थी को समाज में अपने समावेशन के बारे में विश्वाश भी हो सके।

समग्र रूप से परिवार विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के सन्दर्भ में दो मुख्य भूमिकाओं का निर्वहन करता है-

- इस प्रकार के विद्यार्थी के समावेशन हेतु सामाजीकरण के विभिन्न उपादानों को उपलब्ध कराना तथा इसके लिए समुचित वातावरण निर्मित करना।
- यह भूमिका पहली भूमिका से ही निरूपित होती है। इसमें विद्यार्थी को इस प्रकार के अनुभव, विश्वाश, संस्कृति उपलब्ध कराई जाती है जिससे समावेशन के बारे में विद्यार्थी के सकारात्मक मूल्य निर्मित हो सकें।

<u>शिक्षा तंत्र</u>

विद्यार्थी परिवार के बाद जिस लघु समाज से परिचित होता है, वह उसका विद्यालय समाज होता है। विद्यार्थी अपने परिवार से कुछ न कुछ सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य लेकर विद्यालय में आता है। यहाँ पर विद्यालय/शिक्षा तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि -

- विद्यार्थी जो भी नकारात्मक अनुभव, विश्वास , संस्कृति एवं मूल्य लेकर विद्यालय आता है, उनका परिमार्जन करने हेतु समावेशन के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करें।
- विद्यालय में निश्चित रूप से कुछ विद्यार्थी समावेशन के बारे में सकारात्मक अनुभव, विश्वाश , संस्कृति एवं मूल्य लेकर भी आते हैं, इनको फलने -फूलने एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराएँ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी विद्यालयों को एक ऐसे रूप में परिलक्षित कर रहे हैं जहाँ पर विद्यार्थी की विभिन्नताओं (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक आदि) के होते हुए भी उन्हें सभी के साथ मिलकर ज्ञान सृजन करने के समान अवसर मिल सकें। उनकी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें कक्षा-कक्ष में उचित वातावरण मिल सके ताकि वे आत्म विश्वास, आत्मसम्मान, सकारात्मक सोच, प्रभावी सम्प्रेषण आदि गुणों को स्वयं में विकसित करते हुए सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर हो सकें।

शिक्षा में समावेशन का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार यह है कि-

- विद्यार्थियों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है जैसे- अनुभवों के माध्यम से, चीजों को करने से, प्रयोग करके, पढ़ने, चर्चा करने, प्रश्न पूछने, सुनने, सोचने, चिन्तन करने, अभिव्यक्त करने, छोटे एवं बड़े समूह में गतिविधियाँ करने आदि तरीकों से विद्यार्थी सीखता है।
- प्रत्येक विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है|
- विद्यार्थियों को सीखने-सिखाने के क्रम में समुचित अवसर देने की आवश्यकता होती हैं|
- सीखना किसी माध्यम या इसके बगैर भी सम्भव हो सकता है। अतः इसके लिए सीखने-सिखाने की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व विद्यार्थी के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जानना /समझना महत्वपूर्ण है।
- विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, पृष्ठभूमि के प्रति आदर रखना।
- विद्यार्थियों को सिखाने से पूर्व सीखने-सिखाने के लिए तैयार करने हेतु समुचित वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता होती हैं|
- विद्यार्थी अनेक तथ्य याद तो कर सकते हैं, परन्तु उन्हीं तथ्यों, अवधारणाओं एवं विचारों की अपने परिवेश से सम्बद्धता बिठा पाते है जिनके बारे में उनकी भली-भाँति समझ बन चुकी है|
- सीखने-सिखाने की प्रक्रिया विद्यालय के बाहर भी निरन्तर चलती रहती है। अतः सीखने-सिखाने की गतिविधि इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए तथा समझ विकसित करे|

- समावेशन की नीति को हर स्कूल एवं शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। विद्यार्थी के जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल में हो या बाहर, सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है, जहाँ विद्यार्थियों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए, कि सभी विद्यार्थी खासकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से असमर्थ विद्यार्थियों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले विद्यार्थियों को इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिल सकें।

अतः विद्यालयों में विद्यार्थी के समावेशन के दो आयाम स्पष्टत: नजर आते हैं-

1. <u>विद्यार्थी को समझना</u>:- विद्यालयी प्रणाली में शामिल प्रत्येक विद्यार्थी को उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी, शारीरिक क्षमता, मानसिक सामर्थ्य एवं उसके अधिगम के तौर तरीकों के सन्दर्भ में समझना आवश्यक है। इसी समझ के आधार पर विद्यार्थी की सीखने-सिखाने की आवश्यकता के उपादानों को पहचानने में मदद मिल सकेगी।

2.<u>विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार विद्यालयी पाठ्यचर्या का अनुकूलन करना</u>:- यह आयाम प्रथम आयाम का व्यवहारिक निरूपण करता है। इसके दायरे में विद्यार्थी की आवश्यकतानुसार पाठ्यवस्तु/विषय सामग्री, शिक्षण विधियों/शिक्षण तकनीकों, कक्षा-कक्ष की गतिविधियों एवं मूल्यांकन के तौर तरीकों में अनुकूलन करने में सहायता मिल सकेगी। हमें कक्षा को समग्रता

में समझने की आवश्यकता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने-सिखाने की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकारने की जरूरत है।

सामान्यतः विद्यालय कुछ गिने-चुने विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में प्रदर्शन के अवसर देते रहते हैं। यद्यपि इन विद्यार्थियों को तो इससे फायदा होता है परन्तु अन्य विद्यार्थी बार-बार उपेक्षित महसूस करते हैं। प्रशंसा हेतु विशेषता एवं योग्यता को आधार बनाने में प्रत्यक्षतः कोई बुराई भी नहीं दिखाई देती है परन्तु अवसर तो सभी विद्यार्थियों को मिलने चाहिए। इन विद्यार्थियों की विशेष क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए और इन विशेष क्षमताओं की भी तारीफ होनी चाहिए । यह संभव है कि इन विद्यार्थियों को अपना काम पूरा करने/प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त समय या मदद की जरूरत होगी। इसके लिए अपेक्षित धैर्य समावेशन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।

- विद्यालय में दण्ड एवं भय विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति अनुराग या लगाव को कम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों के सीखने में बाधा पहुँचाते हैं।
- सीखना विद्यार्थी में विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करने वाला सकारात्मक घटक है। अतः विद्यालयों में समावेशी माहौल बनाने के हेतु शारीरिक एवं मानसिक दण्ड का कोई स्थान नहीं हो सकता है।
- विद्यालय अनुशासन को थोपने के बजाय विद्यार्थी का स्वानुशासित होना जरूरी है।
- इसके लिए विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण सृजित किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी अपने चिन्तन एवं कर्म की जिम्मेदारी स्वयं लेना सीखे व दूसरों को पहुँचने वाली बाधा एवं पीड़ा को महसूस करना सीखे।
- विद्यालय विद्यार्थियों को स्वयं निर्णय लेने एवं इन निर्णयों के क्रियान्वयन में सक्षम बनाएँ।
- विद्यार्थी विद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था से सीखते हैं।
- विद्यालय शिक्षार्थियों के लिए ऐसे मौके उपलब्ध करवाएँ कि विद्यार्थी मौजूदा धारणाओं और समझ पर निर्णय ले पाए,

चिन्तन - मनन के प्रश्न:

1. **सामाजिक समावेशन के किन -किन आयामों परिलक्षित किया गया हैं?**

   .....
   .....

2. **सामाजिक समावेशन में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का योगदान किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता हैं ?**

   .....
   .....
   .

3. **विद्यालय स्तर पर सामाजिक समावेशन के तरीके क्या - क्या हो सकते हैं ?**

   .....

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एन.ई.पी) का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करते हुए स्कूल-शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना है तथा सामाजिक व शैक्षिणिक पक्ष से वंचित रहे समूहों के विद्यार्थियों पर विशेष बल दिया गया है |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 'एक जीवंत भारत' की नींव रखने का संकल्प लेती है, जहां कोई भी स्कूल शिक्षा से वंचित न रहे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने में सहायता मिल सके। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986', जिस में 1992 में संशोधन किया गया था, के अपूर्ण एजेन्डे को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' में प्रभावशाली ढंग से संपन्न किया गया है तथा इसके द्वारा 'नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009' के पीछे की अंतर्दृष्टि के द्वारा 'व्यापक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु कानूनी मदद मिली।'

- राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका के कारण 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' विद्यालय की आधारभूत संरचना व अध्यापकों की गुणवत्ता व मान्यता पर पूरी तरह सही ढंग से बल देती है| क्योंकि जवाबदेह, पारदर्शी व उसका उपयोगी होना समय की आवश्यकता है तथा इसी लिए ' विद्यालयों व अध्यापकों को विश्वास के साथ अधिकार देने, उन्हें उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रयास करने व अपना बहुत बढिया कार्य-निष्पादन प्रस्तुत करने योग्य बनाने के साथ-साथ इसे पूरी तरह पारदर्शिता से क्रियान्वित करके प्रणाली की अखंडता को सुनिश्चित करने व सभी वित्तीय स्थितियों, कार्य-विधियों व परिणामों को जनता के समक्ष पूरी तरह उजागर करना आवश्यक है।' विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में क्योंकि निजी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण मौजूदगी है, अत: 'लाभ के लिए नहीं' इकाईयों को उत्साहित करने का विचार इस 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' की एक विलक्षण विशेषता है, जो इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु निजी कल्याणकारी प्रयत्नों को भी उत्साहित करती है, तथा अभिभावकों व सामाजिक समुदाय को ट्यूशन फ़ीसों में आदेशपूर्ण बढ़ोतरी से भी बचाती है। एक इतना ही महत्तवपूर्ण क्षेत्र, जिस की ओर 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, यह है कि विद्यालय परिसरों व समूहों के द्वारा कार्यकुशल ढंग से स्रोत इकट्ठे करने व प्रभावी शासन की आवश्यकता है।

आएये अब हम सामाजिक समावेशन में मध्यान्ह भोजन की उपयोगिता को समझते हैं-

मध्यान्ह भोजन परिपेक्ष्य में:

मध्यप्रदेश में मध्यान्ह भोजन की शुरूआत वर्ष 1995 से हुई है जिसके अंतर्गत सभी शासकीय एवं शासन के अनुदान प्राप्त विद्यालयों को कच्चा खाद्यान वितरण किया गया था| लेकिन याचिका 198 /2001 के अनुकूल सर्वोच्चय न्यायालय में पके हुए भोजन का आदेश पारित हुआ|

योजनान्तर्गत पके पकाए भोजन की व्यवस्था:-

इस योजनान्तर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में विद्यार्थियों को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है| योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गयी है| इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर 100 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाता है| प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 700 कैलोरी ऊर्जा व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होना चाहिए| परिवर्धित पोषक मानक के अनुसार मेनू में व्यापक परिवर्तन किया गया है, तथा इसका व्यापक प्रसार प्रचार किया गया है|

खाद्यान्न की व्यवस्था:-
मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य मुख्यतः स्व सहायता समूह द्वारा किया जाता है जिसकी देख-रेख ग्राम पंचायतों/वार्ड सभासदों द्वारा की जाती है| भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराया जाता है जो अपने देखरेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार करते हैं| भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवथा करने का दायित्व भी ग्राम प्रधान का ही है| इस हेतु लागत राशि भी उपलब्ध करायी जाती है| नगर क्षेत्रों में अधिकाँश स्थानो पर भोजन बनाने का कार्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है|
योजना के क्रियान्वयन से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन अक्तूबर 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया गया है :-

- प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना|
- पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा कर विद्यार्थियों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना|
- विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना|
- प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में विद्यालय में विद्यार्थियों के रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्राप-आउट रेट कम करना|
- विद्यार्थियों में भाई-चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मो के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठा कर भोजन कराना ताकि उनमे सामाजिक समावेशन की समझ पैदा हो सकें|

केस स्टडी

शासकीय संजय माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन नरसिंहपुर, जिला – नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश

यह कहानी शासकीय संजय माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन नरसिंहपुर की है | जहाँ शाला के प्रधानाध्यापक ने विद्यालय में सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में व्याप्त समस्याओ पर काम करना शुरू किया| जिसके क्रमिक प्रयासों का वर्णन आगे लिखा गया है। विद्यालय में विभिन्न जाति वर्ग के कुल 252 छात्र – जिनकी संख्या इस प्रकार है - SC के बालक -50,बालिका –21 के बालक -26, बालिका -08, पिछड़ा वर्ग के बालक -78, बालिका -27 एवं सामान्य वर्ग के बालक -28, बालिका -14, इनमें से अल्पसंख्यक मुस्लिम बालक -20, बालिका -13 हैं। मध्यान्ह भोजन बनाने के लिये 5 रसोईयों में से 3 महिला अल्पसंख्यक वर्ग की हैं और 2 महिला पिछड़ा वर्ग की कार्यरत् हैं ।

पूर्व में विद्यालय में विद्यार्थियों को एक बड़ा वर्ग प्रायः मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने से बचता था, जबकि विद्यालय में भोजन मेनू अनुसार स्वादिष्ट और पौष्टिक बन रहा था। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में भोजन नहीं करने पर विस्तार से चर्चा करना शुरु किया तो दो मुख्य कारण निकल कर सामने आये -पहला गम्भीर व संवेदनशील कारण पाया कि कुछ विधार्थी और उनके परिवार जातिगत भेद-भाव व ऊँच नीच की भावना से ग्रसित हैं - जिसके कारण विद्यार्थी मध्यान्ह भोजन ग्रहण नहीं करते हैं और प्रायः मध्यान्ह भोजन के समय से विद्यालय से भाग जाते हैं। जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। दूसरा कारण यह हैं कि अधिकांश विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई के प्रति जागरुकता का अभाव था जिसके कारण कुछ विद्यार्थी प्रायः उल्टी, दस्त, सरदर्द, पेटदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, तनाव जैसे कारणों से अस्वस्थ रहते थे।

हमारे सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां थीं-

- पहली चुनौती विद्यार्थियों के अंदर से जातिगत भेद भाव की भावना को जड़ से समाप्त कर सभी के प्रति समभाव जागृत करना, जिसके लिये वे बातचीत करनेव समझने को तैयार नहीं थे।
- दूसरी चुनौती विद्यार्थियों में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ-सफाई की आदत डालकर स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करना तथा उनको अपने आसपास के परिवेश को भी साफ रखने के लिये प्रेरित करना।
- तीसरी चुनौती स्वास्थ्यगत् कारणों से विद्यालय नहीं आ रहे और भोजन ग्रहण करने से बचने के लिये विद्यालय से भाग रहे विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित एवं पूर्णकालिक उपस्तिथि बनाये रखना।

विद्यालय के शिक्षकों ने इसके समाधान के लिये दो प्रारुप तय किये । पहला जातिगत भेदभाव को खत्म करने के उपायों पर अमल करना एवं दूसरा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरुकता पर कार्य करना।

- विद्यालय में इसकी शुरुआत प्रार्थना सभा से की गई | प्रार्थना सभा आयोजित कैराने के लिए सभी जाति-धर्म के विद्यार्थियों को सामान रूप से अवसर देना शुरू किया | फिर उनके साथ बैठने, खेलने, खाना खाने, विद्यालय परिसर की साफ़-सफाई करने और विद्यार्थियों से ज्यादा से ज्यादा बातचीत करना शुरू किया | इन गतिविधियों में विशेषकर उन विद्यार्थियों को जरूर शामिल किया जो जातिगत भेदभाव व ऊंच-नीच की भावना के कारण मध्यान्ह भोजन से दूर रहते थे | प्रार्थना सभा में जातिगत भेदभाव को दूर करने एवं सर्वधर्म समभाव जैसे विषयों पर उदाहरण, प्रसंग एवं कविता कहानियों के माध्यम से समझाना शुरु - किया, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों को सुनाना शुरु किया।
- शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर एवं कक्षा की साफ-सफाई में उनके साथ बराबरी से शामिल होने लगे। विद्यार्थियों के नाखून एवं बालों की कटाई, कपड़ों की सफाई एवं नियमित स्नान के बारे में पूछने लगे एवं उनको इसके लाभ बताते हुये नियमित साफ सफाई करने - के लिये प्रेरित करने लगे। सभी धर्म व जाति के त्यौहार व उत्सवों को विद्यालय में एक दूसरे के साथ साझा करना शुरु किया।
- भोजन के पहले और बाद में विद्यार्थियों के साथ में खड़े होकर हाथ धुलाई करना शुरु किया। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, विद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों एवं बाल कैबिनेट के पदाधिकारियों को भी अपने साथ लिया। इस अवसर पर हाथ धुलाई एवं सफाई के महत्व एवं फायदे से विद्यार्थियों को अवगत करवाने लगे।
- मध्यान्ह भोजन के रसोईयों को व्यक्तिगत साफ- सफाई के साथ ही शुद्धता से भोजन बनाने एवं परोसने के निर्देश दिये। भोजन में क्रमश: सलाद, मौसमी फल, पापड़, रायता, मिष्ठान आदि को भी शामिल किया। भोजन कक्ष की साफ- सफाई, खाद्य कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों का अलग-अलग डस्टबिन में निष्पादित बर्तनों कि नियमित तरीके से साफ-सफाई ,भोजन की गुणवत्ता आदि के बारे में स्पष्ट निर्देश दिये और शिक्षकों एवं बाल कैबिनेट को इसके अवलोकन की जवाबदारी सौंपी गईं। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को भी समय-समय पर आकर अवलोकन करने का आग्रह किया।
- विद्यालय में प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन के समय शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बाल कैबिनेट ने पंक्ति में बैठकर विद्यार्थियों के साथ भोजन करना शुरु किया। इसमें उन विद्यार्थियों को भी नियमित रुप से शामिल करने लगे जो पहले किन्हीं जातिगत भेदभाव के कारणों से भोजन करने से बचा करते थे। सभी विद्यार्थियों को भोजन परोसना एवं बारी बारी से सबके साथ बैठकर भोजन करने के लिए प्रेरित किया ।

- विद्यार्थियों के द्वारा दक्षता उन्नयन अन्तर्गत हिन्दी और गणित विषय में आवश्यक मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त करने पर जिला स्तरीय " वाल आफ फेम " 2018- के लिये 19 रजत पदक से सम्मानित किया गया।
- विद्यालय से जातिगत भेदभाव की भावना अब विद्यार्थियों के व्यवहार में खत्म हो गयी है। अब सभी विधार्थी एक दूसरे के साथ बिना किसी जातिगत भेदभाव के मिलजुल कर रहते हैं। वहीं विद्यार्थियों का व्यवहार सभी के प्रति भाईचारे व अपनेपन का हो गया|

चिंतन – मनन के प्रश्न:

1.इस कहानी में विद्यालय की प्रमुख तीन चुनौतियों क्या हैं? लिखें –

.....

.

.....

...

.....

...

2.शिक्षक द्वारा विद्यालय में क्या-क्या विभिन्न बदलाव के प्रयास किये गये?

.....

..

.....

..

.....

....

विद्यालय में सामाजिक समावेशन कि प्रक्रिया में आई प्रमुख चुनौतियाँ -

अधिकांश बच्चे आर्थिक रुप से कमजोर, गरीब एवं अशिक्षित मजदूर परिवारों से आते हैं। तो कुछ बच्चे शिक्षित अथवा अल्पशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवारों से भी हैं। जिनमें एक ओर ऐंसे कुछ मध्यमवर्गीय शिक्षित / अल्पशिक्षित परिवार अभी भी रुढीवादी मान्यताओं के चलते धर्म , जाति, ऊँच - नीच की बेड़ियों से जकड़े हुये हैं| और इन बेड़ियों को तोड़ने तैयार नहीं हैं।

मजदूर वर्ग के परिवारों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति परिस्थितीजन्य कारणों से अरुचि रहती है। जिससे अधिकतर बच्चों में पेटदर्द, सरदर्द, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों की शिकायतें भी आम तौर पर बनी रहती है

बच्चों की शाला में उपस्थिती भी प्रभावित हो रही थी| और वो भोजन में रुचि भी नहीं ले रहे थे।

बदलाव के विभिन्न प्रयास:

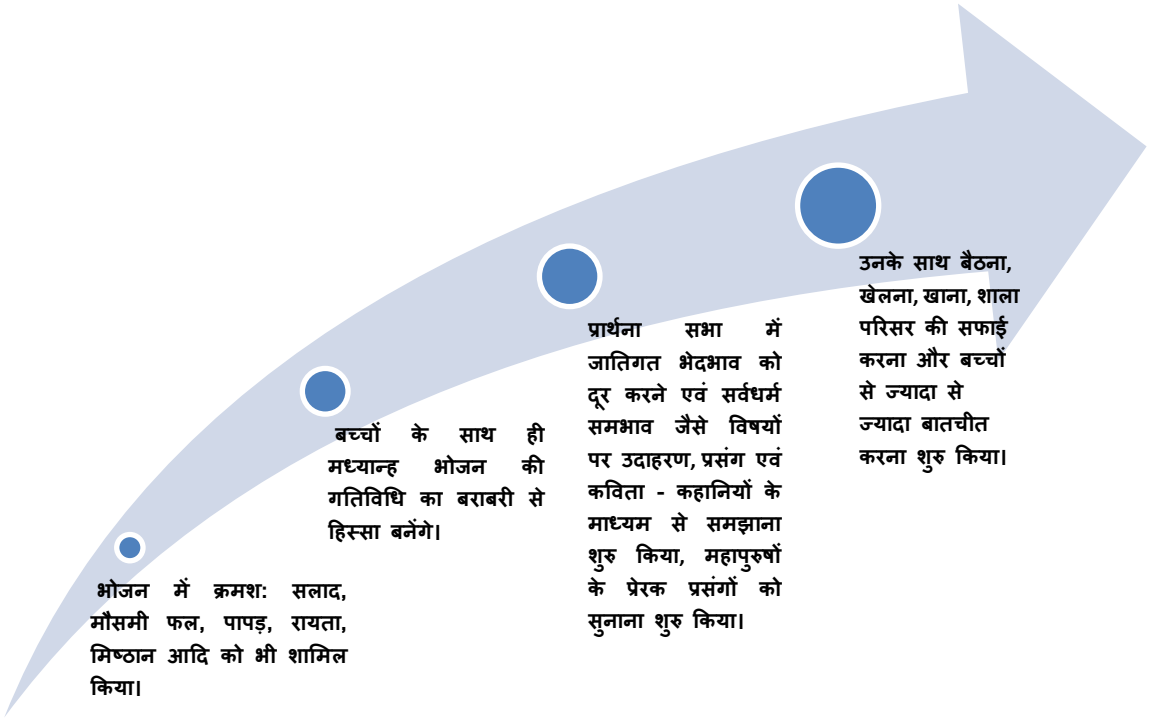

बतौर प्रधानाध्यापक किये जाने वाले कार्य:
1.शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को मध्यान्ह भोजन के प्रभावी सञ्चालन की जिम्मेदारी दे|
2. शिक्षकों द्वारा विधार्थियों को मध्यान्ह भोजन की उपयोगिता बताना |
3 विद्यालय में मध्यान्ह भोजन से सम्बंधित कार्ययोजना बनाये|

समेकन : मध्यान्ह भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इन्कार करते थे| लेकिन लगातार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से विद्यालय में सभी वर्गों के विद्यार्थी परस्पर समता की भावना के साथ एक साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन करते है| प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के परिणामस्वरूप विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन मिलने से सामाजिक समानता की भावना बढ़ती है

'समावेशी शिक्षा' सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना विद्यालय का कर्तव्य होता है| कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनका सामाजिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास भी करें। सामाजिक एवं

नैतिक विकास शिक्षक और अपने समवयस्कों के साथ अंत:प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यह विद्यालय में सामजिक समावेशन को समाहित करने में सहायक होगा |

विचारात्मक प्रश्न: 1.विद्यालय में किन -किन गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित किया जा सकता है ? ....
2.यह विचार करे कि आपका स्कूल सामाजिक समावेशन के मामले में आज कहाँ खड़ा है? और क्यों ? ....
3.मध्यान्ह भोजन प्रणाली सामाजिक समावेशन में किस प्रकार उपयोगी हैं ? ....
4 . समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परम्पराये सामाजिक समावेशन को किस प्रकार अवरुद्ध करती है? ....

संदर्भ:

1. प्री स्कूल गॉइडलाइन फार प्री स्कूल एजुकेशन नई दिल्ली
2. एन.सी.एफ. 2005.
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009.
4. नई शिक्षा नीति 2020.
5. सर्व शिक्षा अभियान परियोजना-आधारभूत दस्तावेज
6. http://itpd.ncert.gov.in
7. www.wcd.org
8. http://mhrd.gov.in

लेखक का नाम - श्रीमती शीतल शर्मा

कंसलटेंट
मेरिको लिमिटेड
Mob: 7471115858
Write20sheetal@gmail.com